

78



माननीय न्यायालय मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल केन्द्र ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक -

/2018 निगरानी-3879/2018 आगर मालवा/भ.प्र.

हुस्ना बानो पिता मो. बाबू उम्र 55 वर्ष, निवासी

पटेल वाड़ी आगर तहसील व जिला आगर

— आवेदक

विरुद्ध

1. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर महोदय  
जिला आगर मालवा
  2. सलीम खां पिता गुलाम जीलानी
  3. नन्ने खां पिता गुलाब रब्बानी
  4. मो. इरफान पिता गुलाम हक्कानी
  5. अनीसा बी पति गुलाम हक्कानी
  6. सिद्दीक खां पिता इकबाल खां
  7. हैदर खां पिता इकबाल खां
- समस्त जाति मुसलमान निवासीगण आगर  
तहसील आगर जिला आगर म.प्र.

— अनावेदकगण

पुनरीक्षण प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं

माननीय महोदय,

आवेदक अधीनस्थ योग्य न्यायालय कलेक्टर महोदय जिला आगर के प्रकरण क्रमांक 2/स्व.निग./2014-15 में पारित आदेश दिनांक 09-05-2018 से असंतुष्ट एवं दुखित होकर निम्न कारणों के आधार पर पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करता है।

प्रकरण के तथ्य

यह कि प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसील आगर द्वारा 19-1-2015 को एक प्रतिवेदन स्थित भूमि सर्वे नंबर 1759 रकबा 6.303 हेक्टर भूमि बंदोबस्त के दौरान शासकीय होने के सम्बत 2007 के खसरे में पट्टा भूमिस्वामी दर्ज करने हेतु व वर्तमान अभिलेखों में भूमिस्वामी दर्ज किये जाने के अभिकथन स्वरूप प्रकरण संज्ञान में लेते हुए प्रकरण में परीक्षण कर कार्यवाही

3


uy

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3879/2018/आगर मालवा/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25.10.2018	<p>आवेदक की ओर से, अधिवक्ता श्री ए.के. यादव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 3-1-19 को आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">   <b>प्रशासकीय सदस्य</b> </p>	

3